CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED, RAIPUR

(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

PUBLIC NOTICE

In compliance with the provision under section 62 and 86(1) of the EA-2003 and the various provisions under the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's conduct of Business Regulations 2009 and "Terms and Conditions of determination of tariff according to multi year tariff principle and Methodology and Procedure for determination of expected revenue from Tariff and Charges" Regulation, 2015, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL) has filed a petition (registered vide no. 02/2016(T)) for provisional true up of FY 2014-15, along with Annual Revenue Requirement for control period FY 2016-17 to FY 2020-21 and determination of Transmission tariff proposal for FY 2016-17 before the Hon'ble Commission.

Proposed Annual Revenue requirement (ARR) in respect of CSPTCL for the control period are **Rs. 924.89 Crs., Rs. 1104.50 Crs., Rs. 1289.63 Crs., Rs. 1369.84 Crs. & Rs. 1475.29 Crs. for FY 2016-17, FY 2017-18, FY 2018-19, FY 2019-20 & FY 2020-21** respectively.

Copies of the tariff petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and at the office of the Executive Director (Commercial and Planning) CSPTCL at Daganiya, Raipur which can be purchased on any working day on payment of Rs. 300/- & may also be obtained by post on payment of additional charges of Rs. 50/-.

Persons intending to file objections/ suggestions relating to the tariff proposals of CSPTCL may file directly to Executive Director (C&P) CSPTCL at Danganiya, Raipur and/or Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, New Shanti Nagar, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Objections/ comments may be sent through fax to CSPTCL at 0771-2574698 and to CSERC at Fax No. 0771-4073553. The Commission shall also hear the persons for which place, date and time shall be notified separately through newspapers. This notice & petition is also available in the Company's website **www.cseb.gov.in** & Commission's website **www.cserc.gov.in.**

SAVE ELECTRICITY

Executive Director (C&P)

Work Order No .... dtd. 09.01.15 Size 8x3

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित् द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 86(1) में निहित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए संबंधित टैरिफ विनियम में निहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार पूर्व वर्ष 2014–15 के प्रोविजनल ट्रू–अप, आगामी पॉच वर्षो अर्थात वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2016–17 के पारेषण टैरिफ अवधारणा के लिये याचिका क्रमांक 02/2016(T) माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पारेषण कंपनी द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19, वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के लिए क्रमशः रू. **924.89** करोड़, रू. **1104.50** करोड, रू. **1289.63** करोड़, रू. **1369.84** करोड़ एवं रू. **1475.29** करोड़ प्रस्तावित की गई है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका की प्रतियां राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं योजना), छ0ग0राज्य वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर, के कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हें रूपए 300/– के भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है । उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रूपए 50/– के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालयों से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिका पर आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति, कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं योजना), छ0ग0राज्य वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर, एवं/या सचिव, छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग शांति नगर, रायपुर को इस आम सूचना के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर भेज सकते है। सुझाव/आपत्तियाँ छ0ग0 राज्य विद्युत पारे0कं0मर्या0 को फैक्स द्वारा नंबर 0771–2574698 एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग को नंबर 0771–4073553 पर भेजी जा सकती है। आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर व्यक्तिगत सुनवाई भी की जावेगी, इसकी सूचना अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

यह सूचना एवं याचिका कंपनी के वेबसाइट **www.cseb.gov.in** एवं आयोग की वेबसाइट **www.cserc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं योजना)

"स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें।"

Work Order No .... dtd. 09.01.15 Size 8x3